आखिरी जांच: 22 अक्टूबर 2026 · Minority Welfare Department, Government of Uttarakhand

Pre Matric Scholarship Scheme (Class 1-10) State Sector

उत्तराखंड का अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अपनी राज्य क्षेत्र की योजना से कक्षा 1 से 10 के अल्पसंख्यक छात्रों को छोटी मासिक छात्रवृत्ति देता है।

क्या मिल सकता है

कक्षा 1 से 5 के लिए 50 रुपये महीना, कक्षा 6 से 8 के लिए 80 रुपये महीना और कक्षा 9 व 10 के लिए 120 रुपये महीना छात्रवृत्ति, अधिकतम 12 महीने तक। ये दरें 3 सितंबर 2005 के सरकारी आदेश से तय हुई थीं।

किसके लिए है

उत्तराखंड के अल्पसंख्यक समुदायों के कक्षा 1 से 10 में पढ़ने वाले छात्र, जिनके माता-पिता की सालाना आय 1 लाख रुपये तक है।

मुख्य शर्तें

- छात्र अल्पसंख्यक समुदाय का हो।
- छात्र कक्षा 1 से कक्षा 10 में पढ़ रहा हो।
- माता-पिता की सभी स्रोतों से सालाना आय 1 लाख रुपये के भीतर हो।

आवेदन कैसे करें

1. विभाग के पेज पर बताए रास्ते के अनुसार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (scholarships.gov.in) पर आवेदन करें।
2. आवेदन में छात्र की कक्षा सही चुनें, क्योंकि मासिक दर कक्षा पर निर्भर है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://minoritywelfare.uk.gov.in/scheme/pre-matric-scholarship-schemeclass-1-10-state-sector/
आधिकारिक आवेदन: https://scholarships.gov.in
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/uttarakhand/uk-minority-pre-matric-scholarship-state-sector/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।